महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Government of Uttar Pradesh; NAAC A++ Accredited; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि. / सम्बद्धता / 2024 / 3483-98

दिनांक : 06.08.2024

सेवा में,

1—समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली।

2—समस्त प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक / प्रबन्धक / सचिव,
समस्त सम्बद्ध—राजकीय / संघटक / अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय—स्वतंत्रता दिवस—2024 के अवसर पर "हर घर तिरंगा" अभियान के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के संलग्न पत्रांक : 1902 / सत्तर—3—2024 दिनांक 02 अगस्त, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 2022 व 2023 की भांति स्वतंत्रता दिवस—2024 के अवसर पर उक्त कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य सम्पूर्ण देश में किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है।

अतः कृपया उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध समस्त राजकीय, संघटक, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय उपर्युक्तानुसार संलग्न पत्र में उल्लिखित दिशा—निर्देशों के अनुसार "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / चीफ प्राक्टर / क्रीड़ा सचिव / समस्त वार्डन।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली—मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।
5. समन्वयक, विश्वविद्यालय सांस्कृतिक केन्द्र।
6. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना।
7. कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली।
8. मीडिया प्रभारी।
9. उप—कुलसचिव (प्रशासन / सम्बद्धता)
10. उप—कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय)
11. निजी सचिव—कुलपति।
12. अवर अभियन्ता (विद्युत)
13. प्रभारी, वेबसाईट।
14. प्रभारी, भण्डार।

कुलसचिव

महत्वपूर्ण

संख्या-1902/सत्तर-3-2024

प्रेषक,

शिपू गिरि,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

4. विशेषकार्याधिकारी तथा जनसम्पर्क अधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 02 अगस्त, 2024

विषयः स्वतंत्रता दिवस-2024 के अवसर पर "हर घर तिरंगा" अभियान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-278/2024/2162/चार-2024, दिनांक 31, जुलाई, 2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह अवगत कराते हुए कि प्रदेश में हर घर तिरंगा' अभियान 2022 व 2023 की भांति स्वतंत्रता दिवस-2024 के अवसर पर उक्त कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य सम्पूर्ण देश में किया जा रहा है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है।

2- इस सम्बन्ध में विभाग के समस्त सरकारी कार्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यापक जनसहभागिता से "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है :-

(1) विगत वर्ष की भांति 'हर घर तिरंगा' अभियान हेतु झण्डों की अतिरिक्त आवश्यकता की आपूर्ति ग्रामीण क्षत्रों के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा दो करोड़ झण्डों का उत्पादन करके की जायेगी, जिसका भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा एवं शहरी क्षेत्रों में झण्डों की आपूर्ति हेतु 50 लाख झण्डों का उत्पादन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से किया जायेगा, जिसका भुगतान नगर विकास विभाग द्वारा किया जायेगा।

(2) समस्त जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा झण्डा उत्पादन इकाईयों जैसे एन०जी०ओ०, लघु उद्योगों, खादी एवं ग्रामोद्योग, निजी सिलाई केन्द्र एवं अन्य उत्पादनकर्ताओं को सक्रिय करते हुए झण्डों का उत्पादन किया जाए।

(3) राज्य हथकरघा निगम के पास उपलब्ध झण्डों की आपूर्ति नगर विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में की जाए।

(4) जेम पोर्टल/ऑन लाइन शापिंग पोर्टल पर उपलब्ध झण्डों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए आमजनमानस को प्रेरित किया जाए। राशन की दुकानों/पेट्रोल पम्पों/घरेलू गैस विक्रय केन्द्रों/ग्राम पंचायत भवनों/ तहसील/विकास खण्ड कार्यालयों/आँगनबाड़ी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों आदि में झण्डों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

(5) दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक आमजनमानस को अपने-अपने घरों, कार्यालयों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों। औद्योगिक प्रतिष्ठानों/शैक्षणिक प्रतिष्ठानों/आँगनबाड़ी केन्द्रों/अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में एफ०एम०/रेडियो चैनल/स्थानीय केबिल नेटवर्क/प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया/ टोल प्लाजा/बस स्टेशनों/मेट्रो स्टेशनों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर झण्डा फहराने हेतु प्रेरित किया जाए।

(6) समस्त सरकारी कार्यालय/शिक्षण संस्थान खादी से निर्मित ध्वज का ही आरोहण करेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा खादी से निर्मित ध्वजों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

(7) समस्त विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय समितियों के साथ बैठक कर तिरंगा अपने प्रतिष्ठानों में सी०एस०आर० संसाधनों के माध्यम से क्रय कर फहराये जाए।

(8) मा० जनप्रतिनिधिगण के साथ भी पृथक से बैठक कर उन्हें कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दे दी जाये।

(9) गृह विभाग सुनिश्चित करे कि पुलिस विभाग के पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्रियाशील रहे। दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य झण्डा गीत, राष्ट्रीय गीतों के साथ ही साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में सूचनाओं का प्रसारण होता रहे। दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य गृह विभाग द्वारा शहीद स्मारकों पर राष्ट्रधुन के साथ पुलिस/पी०ए०सी० बैण्ड का वादन किया जाए।

(10) दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक समस्त सरकारी भवनों पर तिरंगा लाइटिंग करायी जाए।

(11) नगर विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े समस्त स्थलों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए एवं साइनेज भी लगवाये जाए।

(12) समस्त शिक्षण संस्थाओं में हर घर तिरंगा से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उक्त आयोजन के संबंध में शासन से निर्गत आदेशों का प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(13) सेल्फ़ी/रील्स/वीडियो/झण्डे के साथ फोटो अथवा देशभक्ति/ झण्डागीत के साथ वीडियो अभियान से जुड़ी वेबसाइट harghartiranga.com पर अपलोड करने हेतु आमजनमानस को प्रेरित किया जाए।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(शिपू गिरि)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
3- कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. अपर सचिव उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव।